शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-९५/2016/2068(1)/52-1-2016-30(एम0एस0डी0पी0)/16टी.सी.-1

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 04 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 04 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु रू० 2.01 लाख इकाई लागत की दर से कुल धनराशि रू0 8.04 लाख कार्यदायी संस्था– **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को 02 किश्तों में अवमुक्त किये गये थे। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2016 को सम्पन्न बैठक में लागतवृद्धि की धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करने हेतु निर्णय लिया गया है।

2- प्रश्नगत 04 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 19.01.2015 में अनुमोंदन प्रदान किया गया। उक्त पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत रू0 4.43 लाख को अनुमोदित किया गया। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 12.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि रू० 4.43 लाख (रू० चार लाख तैतालीस हजार मात्र) राज्यांश के रूप में कार्यदायी संस्था-**कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना हेतु प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष बजट रू0 874.28 लाख में से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	योजना	इकाई	भा0स0 द्वारा स्वीकृत लागत	पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंकलित लागत	पूर्व में अवमुक्त (दोनों किश्ते)	वर्तमान में अवमुक्त अतिरिक्त लागत		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
							केन्द्रांश	राज्यांश	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीलीभीत	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अति0 कक्षा-कक्षों के निर्माण	04	8.04	12.47	8.04	0.00	4.43	4.43
	योग=							**योग**	**4.43**

UniCode Gov. Inter College. G.O

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- पुनरीक्षित आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर पर पूर्व अनुमोंदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- शासनादेश संख्या-जी0आई0-399/52-1-2013-1(142)/2009, दिनांक 26 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3078/52-1-2014-1(142)/2009, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0108-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 65/रा0 35-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2068(2)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in